**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

**(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 359/2012 दायरा दिनांक : 14.12.2012**

**उनवान**

रामप्रताप वल्द कालू, जाति ब्राहमण, निवासी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1– कैलाश चन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण, निवासी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– सूरजकला पुत्री रामप्रताप जाति ब्राहमण, निवासी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– अर्चना पुत्री रामप्रताप जाति ब्राहमण, निवासी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

**बनाम**

1– बिरधी चन्द वल्द कालू राम, जाति ब्राहमण, निवासी रेपला पोस्ट बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– हरिनारायण पुत्र बिरधी चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेपला पोस्ट बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/2– सत्यनारायण पुत्र बिरधी चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेपला पोस्ट बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/3– पवनकुमार पुत्र बिरधी चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेपला पोस्ट बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रतनलाल शर्मा एवं रामलाल शर्मा अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 21.12.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या — 513/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलांट द्वारा एक अपील इस बाबत पेश की गई कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 बिरधीचन्द वल्द कालू लाल द्वारा एक राजस्व वाद अपीलांट तथा रामनाथ एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ दिनांक 02.07.1999 को पेश किया था जिसका जवाब दावा अपीलांट ने पेश किया तथा दिनांक 20.10.2004 को तनकीयात कायम की गई । उपरोक्त दावे में साक्ष्य इत्यादि के पश्चात दिनांक 25.01.2010 को दावा खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ रेस्पोडेंट बिरधी चन्द ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के यहां अपी की एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दावे को रिमाण्ड किया गया और जिसके निर्देशों के क्रम में रेस्पोडेंट नम्बर 1 बिरधीचन्द द्वारा साक्ष्य करवायी गई तथा दिनांक 27.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिकी करते हुए जमाबंदी सम्वत 2052—2055 की खतौनी संख्या 291/288 की 28 किता आराजी 51 बीघा 13 बिस्वा में मृतक बालचन्द वल्द कालू ब्राहमण के 1/6 हिस्से की आराजियात पर रेस्पोडेंट बिरधीचन्द को खातेदार कृषक घोषित कर दिया गया तथा

रेकार्ड ऑफ राईटस् में मृतक के स्थान पर 1/6 हिस्से की आराजी पर रेस्पोडेंट बिरधीचन्द का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील निम्न कारणों से पेश की है :–

1– यह कि मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जिस कारण निर्णय व डिकी अपास्त होने योग्य है ।

2– यह कि मातहत न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 के निर्णय में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया एवं गलत तौर से तनकी वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में निर्णीत कर दी गई जो अपास्त होने योग्य है ।

3– मातहत न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय बिना पत्रावली पर आयी साक्ष्य पर गौर फरमाये किया है जो मनमाना एवं विधि विरूद्ध है । तनकी नम्बर 2, 3, 4 का निर्णय एक साथ किया है ।

4– मातहत न्यायालय ने तनकी नम्बर 4 का निर्णय रेस्पोडेंट नम्बर 2/1 लगायत 2/3 के हक में गलततौर पर किया है जबकि उनकी तरफ से कोई साक्ष्य इत्यादि पेश नहीं की गई है । रेस्पोडेंट नम्बर 2/1 लगायत 2/3 रेस्पोडेंट नम्बर 1 बिरधीचन्द के लडके हैं जिसे गलततौर से रामनाथ के हिस्से की आराजी खरीदी है जो कि रामनाथ अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 का काका था उनके पिता कालू के जीवनकाल में ही देवा के गोद चला गया था । जिसके बाबत रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने प्रदर्श ए–1 जमाबंदी सम्वत 2049–51 स्वीकार की है । इससे साबित होता है कि रेस्पोडेंट नम्बर 2/1 लगायत 2/3 ने उनके पिता बिरधीचन्द से साजिश कर रामनाथ की भूमि खरीदी जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2012 को अपास्त फरमाया जावे एवं कानून सम्मत निर्णय अपीलांट के पक्ष में पारित किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो वसीयत पेश की गई वह साबित नहीं की गई है । अतः वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो फैसला किया गया है वह गलत है । अपीलांट के वकील ने यह भी बताया कि रामनाथ जो कि देवा के गोद गया था उसकी जमीन रामनाथ के खाते बंधी है एवं बिरधीचन्द ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन प्राप्त कर ली है जो गलत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रामनाथ दत्तक देवा के कब गया, इसका कोई विवेचन नहीं है और न ही यह साबित किया गया है । रेस्पोडेंट नम्बर 2, 3, 4, ने रजिस्टर्ड जमीन रामनाथ से खरीदी है जिसे कहीं चेलेन्ज नहीं किया गया है । बालचन्द का क्रियाकर्म बिरदीचन्द ने किया है जिसको रामनाथ ने स्वयं के बयानों में स्वीकार किया है । अतः बिरधीचन्द ही वसीयत के आधार पर उनकी जमीन प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय में यह पत्रावली दिनांक 26.02.2010 को विभिन्न निर्देशों के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रिमाण्ड की गई और उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात

कायम की गई । अधीनस्थ न्यायालय के तनकी नम्बर 1 आया ग्राम रेपला की खाता संख्या 299 सहखातेदार बालचन्द कुंवारा ला औलाद फौत होने से उनके हिस्से की 1/6 आराजी वादी अर्थात् रेस्पोडेंट बिरधीचन्द अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं । तनकी नम्बर 1 का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर किया है । मृतक सहखातेदार बालचन्द ने वादी के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 31.01.1997 को पेश किया है जबकि सहखातेदार बालचन्द की मृत्यु दिनांक 24.10.1998 को हुई है । गवाह पी डब्ल्यू 1, 2, 3 एवं 4 ने भी बिना जिरह के इस बात का कथन किया है कि बालचन्द सदैव वादी के साथ रहा है । चूंकि बालचन्द ही उसका एक मात्र खातेदार काश्तकार था, अन्य कोई उसका वारिस नहीं था । बालचन्द को अपनी जमीन वसीयत करने का अधिकार था । इस वसीयत को अपीलांट द्वारा कभी भी खारिज करने हेतु चेलेन्ज नहीं किया गया । सिर्फ इसके आधार पर कि अपीलांट बालचन्द के भाई थे इसलिए उसकी जमीन में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, सिद्ध नहीं होता है । तनकी नम्बर 1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णीत की गई है जो कि उपरोक्त दावे का मूल आधार है ।

तनकी नम्बर 2, 3, 4 को सिद्ध करने का भार अपीलांट अर्थात् प्रतिवादी नम्बर 1 पर था । ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की जिसके लिए अपीलांट अर्थात् प्रतिवादी द्वारा जिससे कि तनकी नम्बर 2, 3, 4 का निर्णय उनके पक्ष में किया जा सके । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया है । अपीलांट ने न तो वसीयत को और न ही रजिस्टर्ड दस्तावेजों को किसी न्यायालय में चेलेन्ज करना अधीनस्थ न्यायालय में अवगत करवाया है केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट उपरोक्त जमीन में खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं हो सकते हैं । अतः उपरोक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया है वह उचित है, पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन व विवेचन करते हुए पारित

किया गया है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब व तनकी को साबित नहीं कर पाया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें पूर्ण समय व अवसर प्रदान किया गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा